2 APP-A
crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

हजारी माली रामपुरिया बनाम गोपाल - हीरा माली [illegible]

मुकदमा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-188 RTA नं. 46 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.9.14	वादपत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन मय नकल के भेजा जावे। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18.11.14 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया [illegible]	
18/11/14	पत्रावली [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् [illegible] प्रात्रावली दिनांक 17/12/14 को [illegible] पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
17/12/15	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25/2/15 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
25/2/15	पत्रावली [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् [illegible] प्रात्रावली दिनांक 29/4/15 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
29/4/15	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 25/6/15 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	

FORM NO. III

APP- A
Crim-5

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

हजारी बनाम गौरव

183 -188 नं. 46 वर्ष 17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार व आर्बि० उप०। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 9-2-17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा	
7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/3/17 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/17 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/5/17 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
8/5/17 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 8/6/17 को वास्ते (तलबी) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
8-6-17 पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान मे प्रस्तुत हुइ पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर। पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं हो सका पत्रावली दि. 13-9-17 को वास्ते......तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा	
13/9/17 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 25/10/17 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

(4)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
की उपस्थिति के उपरान्त पत्रावली [illegible] प्रार्थी [illegible] दिनांक [illegible] को [illegible] प्रतिवादी [illegible] पत्रावली [illegible] प्रतिवादी [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो	
[illegible].10 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित वादिका [illegible] पालना [illegible] पत्रावली [illegible] पेश होवे [illegible] दिनांक 15-2-18 को पेश हो	
5/2/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी [illegible] उपस्थित [illegible] P.O. [illegible] पर है। पत्रावली दिनांक 1/3/18 को [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
1/3/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] दिनांक 12/4/18 को [illegible] उप खण्ड अधिकारी	
[illegible]/4/18 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित रिपोर्ट तहसील से [illegible] बहस दिनांक 13-5-18 को पेश हो	
[illegible]/18 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित तहसील से रिपोर्ट प्राप्त नहीं [illegible] दिनांक 13-5-18 को पेश हो	
[illegible]/5/18 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित रिपोर्ट प्राप्त नहीं [illegible] दिनांक 27-6-18 को पेश हो	

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां ([illegible])

[illegible]/6/18 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित तहसील से रिपोर्ट [illegible] दिनांक 12-7-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां ([illegible])

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

हजारी बनाम गोकुल

183-188 RTA

दुमा 46/14 नं. 46/14 वर्ष

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-18	अभिभाषक उभयपक्ष उप. मौका रिपोर्ट अप्राप्त। तलब पत्र जारी हो पत्रावली दिनांक 4-4-18 को पेश हो।	
4/18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उप. मौका रिपोर्ट तामील हो प्राप्त नहीं तलब पत्र जारी हो पत्रावली दिनांक 9-5-18 को पेश हो।	
-5-19	अभिभाषक उभयपक्ष उप. तलबिदा मौका रिपोर्ट अप्राप्त। बजरिया तलबी रिपोर्ट 21-5-18 को पेश हो।	
21 5/19	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। तलबिदा मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली बइन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 25-06-2019 को पेश हो।	
25 6/19	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। तलबिदा मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली बइन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 23-7-2019 को पेश हो।	
7/19	अभिभाषक उभयपक्ष उप. तलबिदा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते शा.वादी दिनांक 22/8/18 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 46 / 2014 **दायर तारीख 30.09.2014**

अनवान्

हजारी पिता किशना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. गोरू पिता मांगीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी सालम खेड़ा रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. हीरा पिता मांगीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी सालम खेड़ा रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27 / 07 / 2023

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 –188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की भूमि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की सरहद में आराजी संख्या 3 / 25 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित हैं।

प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पड़ौसी हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण को रहन या विक्रय नही की है। परन्तु प्रतिवादीगण के आवासीय मकान पास मे ही स्थित होने से वादी द्वारा हंकाई बुवाई करते समय लड़ाई झगड़ा करते एवं फसल बुवाई करने के समय औरतो को लड़ाई झगड़ा करने के लिए मौके पर भेज देते हैं। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण ने जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी विधिक अधिकार के अवैध कब्जा कर लिया हैं। पत्थरगढ़ी कराने के बावजूद प्रतिवादीगण अपना अवैध अतिक्रमण हटाने को तैयार नही है एवं वादग्रस्त आराजीयात पर विधि विरूद्ध रूप से अवैध कब्जा कर रखा हैं

वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री स्थित आराजी संख्या 3 / 25 रकबा 2 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को पुनः कब्जा सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें।

इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादी को सिपूर्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः कब्जा नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें। अन्य अनुतोष जो वादपत्र के तथ्यों एवं विधि अनुरूप वादी प्राप्त करने की अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.01.2018 को जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाबदावे में वादपत्र की चरण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अस्वीकार किया हैं एवं वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 3/25 रकबा 2 बीघा भूमि वादी की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की भूमि है। वादी ने वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण को विक्रय हस्तांतरण नही किया हैं। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है जिन्हे बेदखल कर कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

.... जिम्मेवादी

2. आया वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी अधिकार की भूमि है प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.... जिम्मेवादी

3. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का 60–70 वर्षो से कब्जा अधिकार चला आ रहा है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण स्वतः वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं?

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया अनुतोष क्या होगा ?

वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौजा रामपुरिया प0ह0 जलीन्दी की नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 पेश की जो प्रदर्श–1 हैं। पत्थरगढी मौका पर्चा ग्राम रामपुरिया का दिनांक 03.07.2014 को पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट ली गयी।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2019/825 दिनांक 19.06.2019 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 3/25 रकबा 2 बीघा भूमि हजारी पिता किशना माली के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रेकॉर्ड हैं। इस भूमि पर गोरू, हीरा पिता मांगीलाल का कब्जा है। यह भूमि मौके पर पड़त पडी हुई हैं। तथा एक तरफ इस पर बाडकर बाडा बना रखा है। गोरू, हीरा दोनो खातेदार को कब्जा नही करने देते है। इसमें से होकर कोई रास्ता नही हैं। इस भूमि का वादी कब्जा लेना चाहता हैं।

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू–1 हजारीलाल पिता किशना माली नि0 रामपुरिया तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी हैं।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण ने **साक्ष्यप्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1** गोरूलाल पिता मांगीलाल माली नि0 रामपुरिया तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने बहस में अपने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाया जाकर मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्दी स्थित आराजी संख्या 3/25 रकबा 2 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को पुनः कब्जा सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाना चाहा। एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादी को सिपूर्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः कब्जा नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के आधार पर मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री स्थित आराजी नं0 3/25 रकबा 2 बीघा भूमि हजारी पिता किशना माली के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रेकॉर्ड होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183— 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री स्थित आराजी संख्या 3/25 रकबा 2 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल कर वादी को पुनः कब्जा सिपूर्द किया जावें। एवं वादी की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 27/07/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वादपत्र संख्या 46/2014 **दायर तारीख 30.09.2014**

अनवान्

हजारी पिता किशना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

3. गोरू पिता मांगीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी सालम खेड़ा रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. हीरा पिता मांगीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी सालम खेड़ा रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27/07/2023
डिक्री दिनांक :– 27/07/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादी अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा को हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री स्थित आराजी संख्या 3/25 रकबा 2 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल कर वादी को पुनः कब्जा सिपूर्द किया जावें। एवं वादी की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 07 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकालत नामा	–		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)